प्रेस विज्ञप्ति

16/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने वैध दावेदार यानी आधिकारिक परिसमापक को 9.56 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की दस (10) अचल संपत्तियां और नौ (09) चल संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं।माननीय एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा नियुक्त धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बिचार भवन, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई।

ईडी ने सीबीआई, कोलकाता द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी यानी मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने अपने निदेशकों धनंजय सिंह, संजय सिंह और मृत्युंजय सिंह के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, जिसमें कुल 85.39 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं/ टर्म लोन प्राप्त किए गए, जो 30.06.2013 को एनपीए में बदल गए, जिसमें कुल बकाया 60.38 करोड़ रुपये थे। ये टर्म लोन नई वोल्वो/ मर्सिडीज बसें खरीदने और यात्री परिवहन व्यवसाय की दैनिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृत किए गए थे। हालांकि, वोल्वो बसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक संदिग्ध बैंक खाते, जो देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) और देना बैंक में कुछ अन्य बैंक खातों के साथ है, का उपयोग करके जटिल बैंकिंग लेनदेन के एक जाल के माध्यम से अचल संपत्तियां बनाने, अन्य ऋणों के लिए ब्याज और किश्तों का भुगतान करने और अपनी व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के लिए उक्त टर्म लोन/ क्रेडिट सुविधाओं को डायवर्ट किया गया था।

जाँच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने दो अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करके 10.86 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) कुर्क की। तत्पश्चात, प्रधान न्यायाधीश न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए, नई दिल्ली ने उक्त पीएओ की पुष्टि की।

इससे पहले, मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ विद्वान स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई थी। इसके अलावा, मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 8 (8) के तहत विद्वान स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए, कोलकाता के समक्ष मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की कुर्क अचल और चल संपत्तियों की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता ने मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक के पक्ष में संपत्तियों को जारी करने का आदेश दिया। इसके अलावा, माननीय विशेष न्यायालय के आदेश के आधार पर, आधिकारिक परिसमापक ने ईडी से कुर्क संपत्तियों को जारी करने का अनुरोध किया। अनुपालन में, ईडी ने मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आधिकारिक परिसमापक के पक्ष में रु 9.56 करोड़ (लगभग) जारी कर दिया।

यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल पीओसी का पता लगाने और उसे जब्त करने के लिए ईडी के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है कि धन को सही दावेदारों या "धन शोधन के पीड़ितों" को वापस कर दिया जाए।